



विलीन

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील - 2918/2018 जिला - जबलपुर

संजू गौंड उम्र 22 वर्ष पिता स्व० बारेलाल गौंड  
निवासी ग्राम मुकनवारा, पोस्ट घाटपिपरिया  
तहसील व जिला जबलपुर

— अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- महेंद्र कुमार दुबे उम्र 60 वर्ष  
पिता स्व. तुलसीदत्त दुबे  
निवासी म०नं० 11 ग्राम मुकनवारा  
पोस्ट घाट पिपरिया तहसील व  
जिला जबलपुर
- 2- म०प्र० शासन द्वारा  
कलेक्टर, जिला जबलपुर

श्री. अपीलार्थी द्वारा आज दि. 10/5/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक दिनांक 09-5-18 तक हेतु  
कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

— प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्र० 0493/अपील /2017-18 में पारित आदेश दिनांक 06.3.18 के विरुद्ध.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु

प्रस्तुत है :-

तथ्य

यहकि अपीलार्थी के भूमिस्वामित्व की भूमि ग्राम मुकनवारा प०ह०नं० 38/33 रा०नि०मं० बरगी तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं० 303, 303, 304 रकबा क्रमशः 0.330, 0.170 एवं 0.170 हैक्टर कुल रकबा 0.670 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि के अतिरिक्त अपीलार्थी के पास अन्य ग्रामों में 3.00 हैक्टर से अधिक भूमि और है । अपीलार्थी द्वारा ग्राम मुकनवारा की उक्त भूमि को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किए जाने बावत आवेदन जिलाध्यक्ष के समक्ष दिया गया जिस पर से जिलाध्यक्ष ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी को जांच प्रतिवेदन हेतु आवेदन भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण नायब तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया । नायब तहसीलदार ने हल्का पटवारी से विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया और प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिलाध्यक्ष द्वारा दिनांक 19-9-17 को आदेश पारित

*Handwritten notes:*  
Dany  
ग्राम 165 निस 18  
10/5/18

*Handwritten mark:*  
3

प्रकरण क्रमांक - अपील/2918/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 0493/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 06-3-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मुकनवारा नं0बं0 381 प0ह0नं0 38/33 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 302, 303, 304 रकबा 0.330, 0.170 एवं 0.170 कुल रकबा 0.670 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी प्रत्यर्थी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा। तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19-9-17 द्वारा अपीलार्थी का भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया। इस आदेश</p>	




स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि आवेदक का नाम दिनांक 4-5-16 के तहसीलदार के आदेश से आवेदित भूमि पर दर्ज किया गया है और उसके 4 माह बाद उसने भूमि विक्रय का आवेदन पेश किया है जो संदेहास्पद है और बेनामी अंतरण की श्रेणी में आता है, आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिस पर दिनांक 4-5-16 को उसका वारिसाना नामांतरण किया गया है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 3.330 हैक्टर भूमि बच रही है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

-4-

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/2918/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मुकनवारा नं0बं0 381 प0ह0नं0 38/33 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 302, 303, 304 रकबा रकबा 0.330, 0.170 एवं 0.170 कुल रकबा 0.670 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामतः अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p>	<p> ( एम. गोपाल रेड्डी ) प्रशा0 सदस्य</p>